पत्रांक–10/स्थापना व्यय आ0–17/2025 31/311 रा0,

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
रामगढ़ एवं लातेहार।

राँची, दिनांक– 12-06-2025

विषयः– स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष–2053–जिला प्रशासन, लघुशीर्ष–094–अन्य स्थापनाएँ, उपशीर्ष–01–अवर प्रमंडलीय स्थापना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय हेतु देशीय यात्रा भत्ता इकाई में कुल ₹3,76,000/– (तीन लाख छिहत्तर हजार रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अंतर्गत उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक–196/स्था0, दिनांक–17.05.2025 तथा उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक–209/स्था0, दिनांक–15.05.2025 से प्राप्त अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में देशीय यात्रा भत्ता इकाई में कुल ₹3,76,000/– (तीन लाख छिहत्तर हजार रूपये) मात्र की राशि निम्न प्रकार आवंटित की जाती हैः–

क्र0	इकाई/जिला	रामगढ़ (RGHDAD 046)	लातेहार (LTRDAD 016)	कुल
1	देशीय यात्रा भत्ता	300000	76000	376000

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिलों के संबंधित डी0डी0ओ0 कोड में दिया गया है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 322/वि., दिनांक–28.01.2002, 1800/वि., दिनांक–15.07.2003 एवं 338/बजट, दिनांक–28.03.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

4. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।

5. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन की निकासी की जायेगी तथा नियमित वेतन के पश्चात् अवशेष राशि से 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।

6. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

कृ0पृ0उ0

7. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मांग संख्या–40 के अतिरिक्त इकाईवार विपत्र कोड का उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

8. आवंटित राशि की निकासी, हुए व्यय के अनुरूप प्रत्येक माह की जाय।

9. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–15.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय।

10. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

09/6

(चन्द्रशेखर)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–10/स्थापना व्यय आ0–17/2025 31/311 राँची, दिनांक– 12-06-2025

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09/6/xxv

सरकार के सचिव।

d/all section/sec 10/allotment (lalit)